न्यायालय :– लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर।
मूलवाद सख्या:– 757 / 2020
फुरकान ––––––बनाम–––––––––कुरबान

10.07.2021

पत्रावली में पेश हुई।

पक्षगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादिनी खुशनुमा की ओर से द्वारा अपने मुख्तारे आम दिलबहार प्रार्थनापत्र वास्ते संशोधन अन्तर्गत आदेश–6, नियम 17 व धारा– 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद उपरोक्त जिस समय योजित किया गया था उस समय वादिनी संख्या–1/5 कुमारी खुशनुमा अव्यस्क थी। इस कारण प्रस्तुत वाद में जब उसकी विरासत कायम हुई तो वाद उसकी ओर से उसके वादमित्र श्रीमती मुन्ताह द्वारा कायमी विरासत के बाद अग्रसारित किया गया, और तदनुसार वाद पत्र आदेश दिनांक 02.04.14 द्वारा संशोधित किया गया है, परन्तु दौरान वाद वादिनी सं0 1/5 व्यस्क हो गयी और उसकी वली या कुदरती व वाद मित्र श्रीमती मुन्तहा का स्वर्गवास हो जाने के कारण अन्तर्गत आदेश 22नियम 11 व स्वत ही रिटायीर हो गयी और व्यस्क कु0 खुशनुमा को अपनी ओर से वाद चलाने का अधिकार हो गया इस हेतु उसने उन्होने अपनी बिरदर हकीकी दिलबहार प्रार्थी को अपना मुखतारे आम नियुक्त किया हुआ है तथा मूल मुख्तारनामा पत्रावली पर उपलब्ध है। ताहम वादपत्र में को पुनः संशोधित करना इन परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है। अतः वाद पत्र के पार्टीज के पैरा में 1/5 खुशनुमा के पश्चात् की इबारत उम्र 17 वर्ष नाबालिग पुत्री.... व द्वारा अपनी माता हकीकी व प्राकृतिक संगरक्षिका श्रीमती मुन्ताह कमलजद किया जाकर उसके स्थान पर द्वारा अपने मुख्तारे आम बिरादर हकीकी दिलबहार पुत्र स्व0 फुरकान अहमद निवासी ग्राम सडक दूधली लिखने की अनुमति प्रदान की जाये।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रार्थनापत्र के विरूद्ध कोई लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित सॅशोधन वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है तथा प्रस्तावित संशोधन से वाद के निस्तारण में सहायता मिलेगी। न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

प्रार्थनापत्र कागज सख्या–102ए, स्वीकार किया जाता है।

वाद पत्र में संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है। वांछित संशोधन अविलम्ब हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक को पेश हो।

लघुवाद न्यायाधीश
सहारनपुर

न्यायालय :– लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर।
लघुवाद सख्या:– 59/ 2010
<u>बाबू खुर्शीद अहमद––––––बनाम–––मौहम्मद तालीम</u>

<u>28.07.2021</u>

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र–108सी पर सुना जा चुका है ।

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 108सी:–</u>

प्रार्थनापत्र 108सी, प्रार्थी मसूद बलाल आदि की ओर से प्रार्थनापत्र–92ग में संशोधन करने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद उपरोक्त में बाबू खुर्शीद अहमद के पुत्र मंजूर जमाल का देहान्त दिनांक 31.10.2018 को दौरान वाद हो गया था। उसकी शादी नही हुई थी, इस कारण उसकी मृत्यु लावल्द हुई। उक्त वादी सं0 1/3 मंजूर जमाल ने अपनी मृत्यु पर अपने कानूनी उत्तराधिकारीगण अपनी माता श्रीमती नसीब बानों व बहन श्रीमती तब्बसुम नाज व बिरादरान हकीकी वादी सख्या 1/1 व 1/2 मूसद बिला व मसरूर इकबाल तथा साउद आरिफ को छोडा है, जो कि मृतक मूसर जमाल के उत्तराधिकारीगण हैं। हस्ब मंशा कानून उक्त मृतक का तर्का जायदाद हर किस्म उनको ही कानूनन प्राप्त हो गया है। उक्त मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी पहले से ही वाद में रेस्टोरेशन प्रकीर्ण वाद सं0–99/2018 बाबू खुर्शीद अहमद बनाम मौ0 तालीम आदि में प्रस्थापित हो चुके हैं तथा प्रस्थापित है। परन्तु सहवन भूल/त्रुटि से जब उक्त लघुवाद अपने मूल नम्बर पर प्रतिस्थापित हुआ, उक्त विषय में वाद पत्र हाजा में संशोधन नहीं हो चुका है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वादी खुर्शीद अहमद की विरासत कायमी हेतु जो प्रार्थनापत्र सं0–92ग प्रस्तुत किया हुआ है, वह भी माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार नही किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से वादी सं0 1/3 मन्सूर जमाल बढाया जाना चाहा गया परन्तु मंसूर जमाल की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उसके कानूनी वारसान को प्रार्थनापत्र दिनांकित 18.10.2016 कागज स0– 92ग, के माध्यम से पत्रावली पर लाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र 92ग में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थनापत्र 92ग, में प्रस्तावित संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामलें की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से चल रही है।

संशोधन प्रार्थनापत्र 108ग, शपथपत्र 109ग, से समर्थित है। प्रस्तावित सॅशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है तथा प्रस्तावित संशोधन से वाद के निस्तारण में सहायता मिलेगी। न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थनापत्र कागज सख्या—108ग, स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थना पत्र 92ग, में प्रस्तावित संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थनापत्र 92ग, में प्रस्तावित संशोधन अविलम्ब हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई/आदेश दिनांक 30.07.2021 को पेश हो।

लघुवाद न्यायाधीश
सहारनपुर।

न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर
वाद सं0–175/20
अविन्द कुमार बनाम शेर सिंह आदि ।
29.07.2021

पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। संशोधन प्रार्थनापत्र 17क पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना ।

निस्तारण प्रार्थनापत्र–17क

प्रार्थनापत्र 17क, मय शपथपत्र 18ग वादी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद पत्र की विवरण सम्पत्ति में टाईप की सहवन गलती से नगर निगम की मकान संख्या दर्ज होने से रह गयी है, जिनका दर्ज होना आवश्यक है। प्रार्थना की गयी है कि वाद पत्र में मकान सख्या के सम्बन्ध में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है, बल्कि विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित है जिनके द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थनापत्र के माध्यम से चाहा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का है, जिसके स्वीकार किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की ओर से यह वाद घोषणात्मक आज्ञप्ति के अनुतोष हेतु योजित किया गया है, जिसमें टाईप की गल्ती से सहवन नगर निगम का मकान संख्या दर्ज होने से छूट गया है, जिसे अपने सॅशोधन के माध्यम में वादी वादपत्र में समाहित कराना चाहता है। वादी अपनी पूर्व स्वीकृति को इस संशोधन के माध्यम से वापस नही ले रहा है। उक्त संशोधन स्वीकार किये जाने से प्रश्नगत सम्पत्ति का विवरण अधिक स्पष्ट होगा तथा प्रस्तावित संशोधन से प्रतिवादीगण के अधिकारों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायाहित में सशोधन प्रार्थनापत्र 17क स्वीकार होने योग्य है।

–:आदेश:–

संशोधन प्रार्थनापत्र कागज सख्या–17क, स्वीकार किया जाता है। वादी वाद पत्र में प्रस्तावित संशोधन तीन दिन के भीतर करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 06.08.2021 को पेश हो।

लघुवाद न्यायाधीश
सहारनपुर।

न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर
लघुवाद सं0–10 / 2014
इम्तियाज आदि बनाम वली मौहम्मद ।

29.07.2021

पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। उभयपक्ष की प्रार्थना पर संशोधन प्रार्थनापत्र 53ग, पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना ।

निस्तारण प्रार्थनापत्र–53ग

प्रार्थनापत्र 53ग, मय शपथपत्र 54ग, प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान वाद वादी सख्या–2 इजहार अहमद की मृत्यु दिनांक 10.12.2019 को हो गयी है। उन्होनें अपनें मरने पर अपने दो पुत्रगण रिहान उर्फ सोनू व इमरान तथादो पुत्री शादिया व शबस्ता तथा अपनी बेवा श्रीमती फिरदोश अपने विधिक प्रतिनिधिगण छोडें हैं, इनके अलावा कोई अन्य विधिक प्रतिनिधि नहीं है। मृतक वादी की विरासत के सम्बन्ध में वाद पत्र में संशोधन आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना की गयी है कि वाद पत्र में विरासत कायमी हेतु संशोधन की अनुमति प्रदान की जाये।

उक्त प्रार्थनापत्र पर प्रतिवादीगण की ओर से कोई लिखित आपत्ति पत्रावली पर दाखिल नहीं की गयी है । अतः मौखिक रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी अनापत्ति दर्शित की गयी है।

सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत मामलें में इजहार अहमद वादी संख्या–2 था, जिसकी दौरान वाद दिनांक 10.12.2019 को मृत्यु हो जाने का कथन प्रार्थीगण / प्रस्तावित वादीगण के द्वारा किया गया हैं इस तथ्य को अपने अखण्डित शपथपत्र के माध्यम से उनके द्वारा सम्पुष्ट भी किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 28.02.20 को पत्रावली पर दाखिल किया गया है, जो समयावधि के भीतर है तथा उक्त विरासत कायमी प्रार्थनापत्र पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति भी नहीं है। अतः ऐसी दशा में प्रार्थनापत्र विरासत कायमी न्यायाहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

प्रार्थनापत्र विरासत कायमी कागज सख्या–53ग, स्वीकार किया जाता है। तदनुसार वाद पत्र में प्रस्तावित संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाये।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 06.08.2021 को पेश हो।

लघुवाद न्यायाधीश
सहारनपुर।

न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर
लघुवाद संख्या–07/2016
<u>वक्फ खुदाबंद ताला बनाम शफीक अहमद।</u>

30.07.2021

पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। संशोधन प्रार्थनापत्र 34ग, पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना ।

निस्तारण प्रार्थनापत्र–34ग

प्रार्थनापत्र 34ग, मय शपथपत्र 35ग, प्रार्थी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि जिस समय मौजूदा वाद दायर किया गया था उस समय मदरसा निजामुल कुरअन की मैनेजिंग कमेटी वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा बनाई हुई थी जिसके सचिव हाजी मौ0 ईदरीस थे। चुनॉचे मौजूदा वाद हाजी मौ0 ईदरीस मिनजानिब वक्फ दायर हुआ था । वाद की उक्त कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया है और वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा दिनांक 05.03.20 को आदेश पारित किया गया कि श्री मौ0 हुसैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी मदरसा निजामुल कुरआन वक्फ नम्बर– 751 का प्रबन्ध करेगी और उक्त कमेटी के सचिव श्री महमूद हसन उर्फ सादा पुत्र मौ0 हुसैन निवासी 156 मन्दिर वाली गली खान आलमपुरा सहारनपर है और उन्हें वाद हाजा चलाने का अधिकार है । ऐसी दशा में हाजी मौ0 ईदरीस के स्थान पर श्री महमूद हसन उर्फ सादा का नाम आना आवश्यक है। अतः वाद हाजा में इस बाबत संशोधन की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थनापत्र पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति कागज 37ग प्रस्तुत कर तर्क दिया गया है कि प्रार्थनापत्र गलत बयानो के आधार पर खिलाफ कानून तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिसमे कोई सत्यता नहीं है। प्रार्थनापत्र में सशोधन का कोई पर्याप्त आधार पर भी दर्शित नहीं किया गया है। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित हो रही है। वादग्रस्त सम्पत्ति का कोई सम्बन्ध तथा कथित वक्फ से नहीं है, न ही वक्फ व आपत्तिकर्ता के मध्य भवन स्वामी व किरायेदार का कोई सम्बन्ध ही स्थापित है। इसलिए प्रस्तुत लघुवाद भी गलत व निराधार रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो कानून संधारणीय नही है। मौखिक रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र को विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना भी कथित किया गया है तथा प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने की याचना की गयी हैं

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत लघुवाद वादी वक्फ खुदाबंद ताला जरिये सचिव योजित किया गया है, जिस समय प्रस्तुत लघुवाद न्यायालय के समक्ष संस्थित किया गया था उस समय वादी

वक्फ के सचिव हाजी मौ0 ईदरीस थे किन्तु दौरान मुकदमा उत्तर प्रदेश सुन्नी सैन्ट्रल बोर्ड के मैमोरेन्डम दिनांकित 03.11.2020, जिसकी छाया प्रति शपथपत्र 35ग/2 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, के अनुसार वर्तमान में श्री महमूद हसन उर्फ सादा को वादी वक्फ की ओर से सचिव नियुक्त किया गया है अर्थात प्रस्तुत मामले में वादी सम्पत्ति के पूर्व सचिव हाजी मौ0 ईदरीस द्वारा नही चलाया जा सकता। जिसकारण यह संशोधन प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।सुन्नी सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड के उक्त मैमोरेन्डम के विरूद्ध प्रतिवादी का कोई आक्षेप नही है किन्तु प्रतिवादी के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सुन्नी सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा उक्त मैमोरेन्डम दिनांक 03.11.20 को जारी किया गया है जबकि उक्त संशोधन प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.03.21 को दाखिल किया गया है जो कि अत्यन्त विलम्ब से है। प्रतिवादी का यह तर्क कि प्रार्थनापत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, स्वीकार किये जाने योग्य है कि प्रार्थना विलम्बित है, किन्तु मात्र विलम्ब के आधार पर संशोधन प्रार्थनापत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित नही हैं बल्कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने मे हुए कारित विलम्ब की क्षतिपूर्ति हर्जे से करायी जा सकती है। अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र 34ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेशः–

संशोधन प्रार्थनापत्र 34ग, अंकन 250/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाये । पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र–29 व 26ग दिनांक 18.08.21 को पेश हो।

लघुवाद न्यायाधीश
सहारनपुर।

न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर
लघुवाद संख्या–53/2015
<u>खलीक अहमद बनाम जगपाल सिंह।</u>

30.07.2021

पत्रावली वास्ते आदेश संशोधन प्रार्थनापत्र 67ग पेश हुई।

उभयपक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में पूर्व में विस्तार पूर्वक सुना जा चुका है।

संशोधन प्रार्थनापत्र 67ग मय समर्थित शपथपत्र–68ग प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद उपरोक्त में लिप्त विवादित सम्पत्ति के तीन मालिक खलील अहमद, जमील अहमद एवं सगीर अहमद हैं। विवादित दुकान व अन्य दुकानात को लेकर इनके बीच कोई विभाजन नही हुआ । इस प्रकार तीनों ही विवादित दुकान के संयुक्त रूप से मालिक हैं। परन्तु इन तीनों की ओर से प्रतिवादी को न तो कभी किराया बेदखली का नोटिस दिया गया है, न ही प्रतिवादी की किरायेदारी इन तीनों द्वारा समाप्त की गयी न ही प्रस्तुत वाद इन सभी मालिक की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध योजित किया गया है। उक्त तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है एवं कानूनी तथ्य है। जो आज वाद की तैयारी करते समय ध्यान में आये है। अतः इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा अपने उत्तर पत्र में संशोधन कराना आवश्यक हो गया है । इसलिए उक्त संशोधन प्रार्थनापत्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन कराने हेतु इस संशोधन प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाना आवश्यक है ताकि पक्षगण के बीच न्याय हो सके। प्रतिवादी द्वारा उक्त आधारों पर अपने उत्तर पत्र मे संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति–69ग समर्थित शपथपत्र 70ग प्रस्तुत कर वादी द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थनापत्र गलत बयानों के आधार पर व खिलाफ कानून तथा बदनियती से मुकदमें को लम्बा करने की गरज से दिया गया है, जिसमें कोई सार नही है। मुकदमा अपने अंतिम चरण में है । वादी की ओर से मुकदमें में शहादत समाप्त हो चुकी है। प्रतिवादी व उसके गवाह से भी जिरह हो चुकी है। प्रतिवादी के दीगर गवाह से जिरह होनी है। इस स्तर पर प्रार्थनापत्र संशोधन उत्तरपत्र विधि में संधारणीय नहीं है। प्रार्थनापत्र पत्र संशोधन उत्तर पत्र प्रथम दृष्टया मे ही संशोधित आदेश–6 नियम 17 जाब्ता दीवानी के प्राविधान बाधित है। मुकदमा भवन स्वामी व किरायेदार के सम्बन्धों पर आधारित है। मिलकियत को कोई प्रश्न खफीफा वाद में निहित नहीं है। भवन स्वामी व किरायेदार का सम्बन्ध प्रतिवादी ने अपने उत्तर नोटिस व अपने उत्तरपत्र में स्वीकार किया हुआ है। इतना ही नहीं प्रतिवादी की ओर से जो कागजात दाखिल किये गये है, उनसे भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी वादी को अपना भवन स्वामी स्पष्ट रूप से मानता चला आ रहा है। उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा30 यू0पी0.एक्ट नम्बर 13 सन्1972 की पक्की नकल दाखिल की जा रही है

जिससे प्रतिवादी की बदनियती साफ जाहिर होती है। प्रतिवादी एक मात्र मुकदमें को तवालत में डालने का है, तथा मुकदमा निर्णीत न होने देने का है। इसी उद्‌देश्य से प्रतिवादी ने इस स्तर पर प्रार्थनापत्र तरमीम उत्तर पत्र प्रस्तुत किया है। वांछित संशोधन से प्रतिवादी अपनी स्वीकारोक्ति को वापस लेना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रतिवादी की ओर से रिज्वाईन्डर शपथपत्र 82ग, प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों का खण्डन करते हुए अपने संशोधन प्रार्थनापत्र के तथ्यों को सम्पुष्ट किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परीशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत वाद एक खफीफा वाद है जो कि वर्ष –2015 से इस न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है। उक्त मामलें में वादी के द्वारा अपना समस्त साक्ष्य दाखिल किया जा चुका है। वादी के साक्षीगण से प्रतिवादी के द्वारा अपनी जिरह समाप्त की जा चुकी है, तदोपरान्त पत्रावली दिनांक 17.01.18 को प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत की गयी है तथा प्रतिवादी की ओर से कुल चार साक्षीगण के साक्ष्य शपथपत्र पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं, जिनमें से साक्षी डी0डब्ल्यू–1 जगपाल सिंह की जिरह पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली वर्तमान में वास्ते जिरह डी0डब्ल्यू–2 तेलू राम नियत चली आ रही है। जिस स्तर पर यह संशोधन प्रार्थनापत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

वादी मुकदमा की ओर से न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Dr. P.K. Pandey V/s Atul Tiwari. 2009(74) ALR-197** एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Stata of Bihar And Another V/S Modern Tent House and Another 2018(1) ARC- 487** को प्रस्तुत किया गया है ।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ में माननीय न्यायालयों द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि संशोधन वाद के किसी भी स्तर पर किया जा सकता है तथा माननीय न्यायालयों के उक्त विधि निर्णयों के आधार पर अपना संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना प्रतिवादी द्वारा की गयी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये उपरोक्त विधि निर्णयों का ससम्मान परिशीलन किया गया । यह सही है कि अभिवचनों में संशोधन वाद के किसी भी स्तर पर किया जा सकता है किन्तु आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 के परन्तुक में यह

प्राविधानित किया गया है कि '' **परन्तुक यह कि संशोधन के लिए में कोई आवेदन विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात अनुज्ञात नही किया जायेगा जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नही पहुॅचता है कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी पक्षकार मामले को विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व नही उठा सकता था।''**

आदेश–6 नियम 17 सी0पी0सी0 में किये गये उक्त प्राविधान के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अद्यतन विधि व्यस्था **Pandit Malhari Mahale V/S Monika Pandit Mahale, Civil Appeal N0 189/2020 date of Jugement 10 January-2020** द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी न्यायालय द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र को विचारण प्रारम्भ होने के उपरान्त स्वीकार करने से पूर्व इस सम्बन्ध में अपना निष्कर्ष अवश्य व्यक्त करना चाहिए कि न्यायालय उक्त मामलों में सन्तुष्ट है कि सम्बन्धित पक्षकार सम्यक तत्परता के पश्चात् भी अपने मामले को न्यायालय के समक्ष पूर्व में नही उठा सकता था।

प्रस्तुत मामलें में जो संशोधन प्रार्थनापत्र प्रतिवादी की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुंत किया गया है उक्त सम्पूर्ण प्रार्थनापत्र में प्रतिवादी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है जिस तथ्य को अपने संशोधन प्रार्थनापत्र के माध्यम से वह उत्तरपत्र में समाहित करना चाहता है,उक्त संशोधन को मामले के पूर्व प्रक्रम पर वह क्यों नही प्रस्तुत कर सका था। प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में मात्र यह लिखा गया है कि जो तथ्य संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत किये जा रहे है बहुत महत्वूपर्ण तथ्य हैं जो आज वाद की तैयारी करते समय ध्यान में आये है किन्तु प्रतिवादी के द्वारा अपने संशोधन प्रार्थनापत्र को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में दिया गया उक्त आधार संतोषजनक नहीं है तथा मात्र उक्त के आधार पर न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं ले सकता है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त संशोधन को प्रस्तुत करने में सम्यक तत्परता बरती गयी है बल्कि स्वयं प्रतिवादी के द्वारा अपने संशोधन प्रार्थनापत्र में अंकित आधार से ही यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा उक्त तथ्य को अपने उत्तरपत्र में समाहित किये जाने हेतु अत्यन्त ही शिथिलता बरती गयी है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय विधि **Pandit Malhari Mahale V/S MONIKA Pandit Mahale(SUPRA)** में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के अनुसार संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तदनुसार संशोधन प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

संशोधन प्रार्थनापत्र 67ग, प्रार्थी/प्रतिवादी वास्ते संशोधन उत्तरपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह डी0डब्ल्यू–2 दिनांक 16.08.21 को पेश हो।

लघुवाद न्यायाधीश
सहारनपुर।

न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर
लघुवाद संख्या–06 / 2016
वक्फ खुदाबंद ताला बनाम इफतखार।

30.07.2021

पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। संशोधन प्रार्थनापत्र 34ग, पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना ।

निस्तारण प्रार्थनापत्र–33ग

प्रार्थनापत्र 33ग, मय शपथपत्र 34ग, प्रार्थी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि जिस समय मौजूदा वाद दायर किया गया था उस समय मदरसा निजामुल कुरअन की मैनेजिंग कमेटी वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा बनाई हुई थी जिसके सचिव हाजी मौ0 ईदरीस थे। चुनॉचे मौजूदा वाद हाजी मौ0 ईदरीस मिनजानिब वक्फ दायर हुआ था । वाद की उक्त कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया है और वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा दिनांक 05.03.20 को आदेश पारित किया गया कि श्री मौ0 हुसैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी मदरसा निजामुल कुरआन वक्फ नम्बर–751 का प्रबन्ध करेगी और उक्त कमेटी के सचिव श्री महमूद हसन उर्फ सादा पुत्र मौ0 हुसैन निवासी 156 मन्दिर वाली गली खान आलमपुरा सहारनपर है और उन्हें वाद हाजा चलाने का अधिकार है । ऐसी दशा में हाजी मौ0 ईदरीस के स्थान पर श्री महमूद हसन उर्फ सादा का नाम आना आवश्यक है। अतः वाद हाजा में इस बाबत संशोधन की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थनापत्र पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत कर तर्क दिया गया है कि प्रार्थनापत्र गलत बयानो के आधार पर खिलाफ कानून तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिसमे कोई सत्यता नहीं है। प्रार्थनापत्र में सशोधन का कोई पर्याप्त आधार पर भी दर्शित नहीं किया गया है। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित हो रही है। वादग्रस्त सम्पत्ति का कोई सम्बन्ध तथा कथित वक्फ से नहीं है, न ही वक्फ व आपत्तिकर्ता के मध्य भवन स्वामी व किरायेदार का कोई सम्बन्ध ही स्थापित है। इसलिए प्रस्तुत लघ ुवाद भी गलत व निराधार रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो कानून संधारणीय नही है। मौखिक रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र को विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना भी कथित किया गया है तथा प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने की याचना की गयी हैं

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत लघुवाद वादी वक्फ खुदाबंद ताला जरिये सचिव योजित किया गया है, जिस समय प्रस्तुत लघुवाद न्यायालय के समक्ष संस्थित किया गया था उस समय वादी

वक्फ के सचिव हाजी मौ0 ईदरीस थे किन्तु दौरान मुकदमा उत्तर प्रदेश सुन्नी सैन्ट्रल बोर्ड के मैमोरेन्डम दिनांकित 03.11.2020, जिसकी छाया प्रति शपथपत्र 34ग/2 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, के अनुसार वर्तमान में श्री महमूद हसन उर्फ सादा को वादी वक्फ की ओर से सचिव नियुक्त किया गया है अर्थात प्रस्तुत मामले में वादी सम्पत्ति के पूर्व सचिव हाजी मौ0 ईदरीस द्वारा नही चलाया जा सकता। जिसकारण यह संशोधन प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।सुन्नी सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड के उक्त मैमोरेन्डम के विरूद्ध प्रतिवादी का कोई आक्षेप नही है किन्तु प्रतिवादी के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सुन्नी सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा उक्त मैमोरेन्डम दिनांक 03.11.20 को जारी किया गया है जबकि उक्त संशोधन प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.03.21 को दाखिल किया गया है जो कि अत्यन्त विलम्ब से है। प्रतिवादी का यह तर्क कि प्रार्थनापत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, स्वीकार किये जाने योग्य है कि प्रार्थनापत्र विलम्बित है, किन्तु मात्र विलम्ब के आधार पर संशोधन प्रार्थनापत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित नही हैं बल्कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने मे हुए कारित विलम्ब की क्षतिपूर्ति हर्जे से करायी जा सकती है। अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र 33ग, हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेशः–

संशोधन प्रार्थनापत्र 33ग, अंकन 250/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाये । पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र 26ग, व 28ग दिनांक 18.08.21 को पेश हो।

लघुवाद न्यायाधीश
सहारनपुर।

न्यायालय :– द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि/ए0सी0जे0एम सहारनपुर
मूलवाद सख्याः– 410/09
मुजजफर इकबाल ––––––बनाम–––––––––श्रीमती इनायत
––

8–8–11

पत्रावली आदेशार्थ नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुंत वाद मे पक्षगण के अभिवचनोके आधार पर वाद बिन्दू विरचित किये गये।

वादी पक्ष की ओर से पी0डब्ल्यु–1 के रूप मे मुजफफर इकबाल को परीक्षित कराया गयाहै अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है।

प्रतिवादी की ओर से बतोर डी0डब्ल्युं–1इनायत बेगक को परीक्षित कराया गया हैअन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। तत्पश्चात सुंलहनामा नामा कागज सख्या– 28ए–1 पर बल देकर वाद का निस्तारण सुलहनामे के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गयां

उक्त सुंलहनाम नामे पर पक्षगण के हस्ताक्षर है जिन की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। सुलहनामा न्यायालय द्वारा पक्षगण को पढकर सुंनया व समझाया गया तो पक्षगण ने सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के दिया जाना बताते हुए उसमे ॲकित शर्तो को स्वीकार कर वाद का निस्तारण उक्त सुंलहनामा के आधार पर किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं। सुलहनामा तसदीक कर स्वीकार किया गयां।

सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है सुंलहनामा मे ॲंकित शर्तो के अनुसार पक्षगण के मध्य उत्पन्न विवाद का प्रभावी निस्तारण होना सम्भव हैं। चूॅकि पक्षगण ने सुंलहनामा के तथ्यो के आधारपर वाद का निस्तारण चाहा है। ऐसी स्थिति मे वाद का निस्तारण सुंलहनामा के प्रकाश मे किया जाना न्यायोचित है।

:–आदेशः–

प्रस्तुंत वाद का निस्तारण सुंलहनामा कागज सख्या–28ए–1 के प्रकाश मे किया जाता है। सुलहनामा कागज सख्या– 28ए–1 आज्ञप्ति का ॲग रहेगा।

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि/ए.सी.जे.एम
सहारनपुर।

न्यायालय :– द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि/ए0सी0जे0एम सहारनपुर
मूलवाद सख्याः– 498/10
श्रीमती बीरमती ––––––बनाम–––––––––श्री तरूण कुमार
––

6–8–11 :–लोक अदालतः–

पत्रावली लोक अदालत मे पेश हुई।

पक्षगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। सॅधिपत्र कागज सख्या– 23ए–1 प्रस्तुत कर मामले का निरस्तारण सॅधिपत्र के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षगण के अभिवचनो के आधार पर वाद मे वाद बिन्दू विरचित किये गये है ओर वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिसकी जिरह प्रतिवादी पक्ष द्वारा की गयी।

प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य देंने से इॅकार किया। तत्पश्चात् सॅधिपत्र कागज सख्या– 23ए–1 प्रस्तुत कर लोक अदालत मे नियत कर लोक अदालत की शर्तो के अनुसार निस्तारित किये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त सुंलहनाम नामे पर पक्षगण के हस्ताक्षर है जिन की पहचान उनके विद्धान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। सुलहनामा न्यायालय द्वारा पक्षगण को पढकर सुंनया व समझाया गया तो पक्षगण ने सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के दिया जाना बताते हुए उसमे अॅकित शर्तो को स्वीकार कर वाद का निस्तारण उक्त सुंलहनामा के आधार पर किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं। सुलहनामा तसदीक कर स्वीकार किया गयां।

सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है सुंलहनामा मे अॅकित शर्तो के अनुसार पक्षगण के मध्य उत्पन्न विवाद का प्रभावी निस्तारण होना सम्भव हैं। चूॅकि पक़्षगण ने सुंलहनामा के तथ्यो के आधारपर वाद का निस्तारण चाहा है। ऐसी स्थिति मे वाद का निस्तारण सुंलहनामा के प्रकाश मे किया जाना न्यायोचित है।

:–आदेशः–

प्रस्तुंत वाद का निस्तारण सुंलहनामा कागज सख्या–23ए–1 के प्रकाश मे किया जाता है। सुलहनामा कागज सख्या– 23ए–1 आज्ञप्ति का अॅग रहेगा।

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि/ए.सी.जे.एम
सहारनपुर।

न्यायालय :– सिविल जज सी0डि सहारनपुर।
मूलवाद सख्या– 364/12
रियाजुल हसन बनाम चन्द्रपाल सिंह

21–5–12

पत्रावली पुनः पेश हुई ।

पक्षगण मय विद्धान अधिवक्ता उपस्थित है । पक्षगण की ओर से प्रस्तुत सुलहनामे 16क पर बल देते हुए वाद का निस्तारण सुलहनामे के शर्तो के अधीन किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मे जवाब दावा प्रस्तुत होकर वाद बिन्दू विरचित किये गये ओर तदोरान्त पक्षगण द्वारा अपना अपना साक्ष्य अॅकित कराया गया।

उक्त सुंलहनामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसपर पक्षगण की पहचान उनके विद्धान अधिवक्ता द्वारा की गयी सुलह नामे पर पक्षगण के हस्ताक्षर है सुलहनामा न्यायालय द्वारा पक्षगण को पढकर सुंनया व समझाया गया तो पक्षगण ने सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के दिया जाना बताते हुए उसमे अॅकित शर्तो को स्वीकार कर वाद का निस्तारण उक्त सुंलहनामा के आधार पर किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं। सुलहनामा तसदीक

कर स्वीकार किया गयां।

सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है सुंलहनामा मे अँकित शर्तो के अनुसार पक्षगण के मध्य उत्पन्न विवाद का प्रभावी निस्तारण होना सम्भव हैं। चूँकि पक्षगण ने सुंलहनामा के तथ्यो के आधार पर वाद का निस्तारण चाहा है अतः वाद का निस्तारण सुंलह के आधार पर किया जाना न्यायोचित है।

:–आदेशः–

प्रस्तुत वाद का निस्तारण सुंलहना कागज सख्या– 16क–1 मे के प्रकाश मे किया जाता है किया जाता है । सुंलहनामा कागज सख्या–16क–1 आज्ञप्ति का ॲंग रहेगा तदनुसार डिग्री तैयार की जाये ।

सिविल जज सी0डि
सहारनपुर।

न्यायालय : द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि/ए0सी0जे0एम सहारनपुर।
परिवाद सख्या–1017/11
विजयकॉत बनाम मदन मोहन
अ0धारा–138एन0आई0एक्ट थाना कुंतुबेशेर

1–10–11

पत्रावली पेश हुई ।

पक्षगण मय विद्धान अधिवक्ता उपस्थित है ।

प्रकरण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी विजय कान्त ने यह परिवाद विपक्षी मदन मोहन के विरूद्ध अ0धारा–138एन0आई0 के तहत योजित किया है जिसमे न्यायालय द्वारा साक्ष्य के उपरान्त अभियुंक्त को धारा–138एन0आई एक्ट के अभियोग मे विचारणार्थ आहूत किया गया हैं । आज प्रकरण मे पक्षगण की ओर से सॅधिपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि कुछ भले आदमियो ने उनके मध्य सुलह करा दी है इसी कारण से परिवादी अब कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहता हैं। परिवादी को वर्णित सख्या–463223 मे ॲंकित धनराशि अभियुंक्त से प्राप्त हो गयी है। अब कोई लेनदेन बाकी नही रहा

है । अतः सुलहनामा को तसदीक फरमाया जाकर कार्यवाही मुकदमा को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है ओर अभियुंक्त को बरी किये जाने की प्रार्थना भी की गयी है।

सुलहनामे का अवलोकन किया उक्त सुंलहनामा नामे पर पक्षगण के हस्ताक्षर है, जिन की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। सुलहनामा न्यायालय द्वारा पक्षगण को पढकर सुंनया व समझाया गया तो पक्षगण ने सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के दिया जाना बताते हुए उसमे अॅकित शर्तो को स्वीकार कर वाद का निस्तारण उक्त सुंलहनामा के आधार पर किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं। सुलहनामा तसदीक कर स्वीकार किया गयां।

सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है सुंलहनामा मे अँकित शर्तो के अनुसार पक्षगण के मध्य उत्पन्न विवाद का प्रभावी निस्तारण होना सम्भव हैं। चूॅकि पक्षगण ने सुंलहनामा के तथ्यो के आधार पर वाद का निस्तारण चाहा है ओर कोई लेनदेन बकाया होने से इॅकार किया गयां अतः वाद का निस्तारण सुंलह के आधार पर किया जाना न्यायोचित है।

:–आदेशः–

प्रस्तुत वाद का निस्तारण सुंलहनामा के प्रकाश मे किया जाता है सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्यवाही समांप्त किया जाकर वाद निरस्त किया जाता है । पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर होवे।

द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि / ए.सी.जे.एम
सहारनपुर।

न्यायालय : द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि सहारनपुर।

मूलवाद –465 / 11

श्रीमती भावना बनाम अनुज आदि

14–2–12

आज पत्रावली पेश हुई । कागज सख्या'–16ए के निस्तारण के लिए पत्रावली नियत है जिसके द्वारा पक्षगण ने वाद को सुलहनामे के आधार पर निस्तारित किये जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने यह वाद तकसीम के उपचार के लिए सॅस्थित है । प्रकरण मे पक्षगण का साक्ष्य पूरा होने के उपरान्त पत्रावली बहस मे नियत की गयी। ततपश्चात् पक्षगण द्वारा सॅधिपत्र कागज सख्या–16ए दाखिल किया गया है जिसको पक्षगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्षगण की पहचान करने के न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया।

दावे मे उक्त सम्पत्ति मदअ व मद–ब के सन्दर्भ मे पक्षगण कने सुंलह चाहते है। मद–अ की सम्पत्ति के बाबत स्वामित्व का प्रपत्र कागज सख्या–17क व पारिवारिक समझौता कागज सख्या–18क मूल रूप से प्रस्तुत

किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि मद–अ की सम्पत्ति वादी व प्रतिवादीगण के चाचा मृतक जयप्रकाश ने क्रय की है ओर जय प्रकाश अविवाहित रहे तथा उनके उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादीगण हुए है जिनके बाबत पारिवारिक समझौता भी दिनॉक 20–12–93 को तहरीर किया गया। कागज सख्या–18ग दाखिल है। पारिवारिक समझौता तथा दाखिल समझौता के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक विवादित सम्पत्ति के 1/3, 1/3 भाग के मालिक रहेने का कथन कर रहे है । ऐसी दशा मे वादपत्र की सम्पत्ति मद–अ के सन्दर्भ मे समझौता कागज सख्या–16ए के प्रकाश मे वाद का निस्तारण किये जाने का आधार पर्याप्त है।

वाद प़त्र की धारा मद–ब के सम्बन्ध मे कोई स्वामित्व का प्रपत्र दाखिल नही है। ऐसी दशा मे सम्पत्ति मद–ब के सन्दर्भ मे कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है।

तदनुंसार सॅधिपत्र कागज सख्या–16ए ऑशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेशः

सॅधिपत्र कागज सख्या–16ए ऑशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । वादग्रस्त सम्पत्ति मद–अ के सम्बन्ध मे वादी का वाद कागज सख्या–16ए के प्रकाश मे निस्तारित किया जाता है तथा वाद ग्रस्त सम्पत्ति मद–ब के सन्दर्भ मे सुंलहनामा कागज सख्या–16ए निरस्त किया जाता है।

तदनुसार आज्ञप्ति बनायी जाये जिसका कि सुंलहनामा कागज सख्या–16ए ,वाद मे दी गयी सम्पत्ति मद–अ डिक्री का ॲश रहेगा।

द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि/ए.सी.जे.एम
सहारनपुर।

न्यायालय : द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि सहारनपुर।

मूलवाद –465/11

श्रीमती भावना बनाम लक्ष्मण दास

13–04–12

पत्रावली पेश हुई ।वास्ते निस्तारण सॅधि पत्र कागज सख्या–24ए नियत है।

पक्षगण मय विद्वान अधिवक्ता द्वारा सॅधिपत्र के आधार पर वाद निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण मे पक्षगण के अभिवचनो के आधार पर दिनॉक 3–4–12 को वाद बिन्दू विरचित किये गये ओर पक्षगण द्वारा अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात वाद का निस्तारण सॅधि के आधार पर किये जाने का निवेदन करते हुए सॅधिपत्र–24ए–1 प्रस्तुंत किया गया। पक्षगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्षगण की पहचान करने पर सॅधिपत्र सत्यापित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का स्वामी प्रतिवादी है दाखिल प्रपत्रो तथ साक्षी के बयानो से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मे प्रश्नगत सम्पत्ति प्रतिवादी के नाम ही दर्ज है इसप्रकार से यह स्पष्ट

है कि सॅधिपत्र के आधार पर ही प्रथम बार वादिनी के पक्ष मे निश्चित रूप से अधिकार हित व स्वत्व का सृजन हो रह है ऐसी दशा मे सॅधिपत्र के रजिस्टै्शन का आदेश दिये जाते हुए वाद सॅधिपत्र के आधार पर निस्तारित किये जाने योग्य है।

:–आदेश:–

प्रस्तुत वाद सॅधिपत्र कागज सख्या– 24ए–1 के आधार पर निर्णीत किया जाता है । सुंलहनामा कागज सख्या–24ए–1 आज्ञप्ति का ॲग रहेगा डिक्री रजिस्टे्शन के उपरान्त ही मान्य होगी।तदनुसार डिग्री तैयार की जाये।

द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि/ए.सी.जे.एम
सहारनपुर।

न्यायालयः सिविल जज सी0डि सहारनपुर।
मूलवाद सख्याः– 732/09
फूलचन्द ––––––बनाम ––––––––श्यामोदेवी आदि
––––––––––––––––––––––––––––

24–5–12

पत्रावली पेश हुई।

पक्षगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पक्षगण की ओर से सॅधिपत्र कागज सख्या–62ए–1 प्रस्तुत कर मामले का निरस्तारण सॅधिपत्र के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए सॅस्थित किया है। जिसमे प्रतिवादी सख्या–1व2 के उत्तरपत्र आने के उपरान्त वाद बिन्दू बने ओर साक्ष्य प्रारम्भ हुई दौरान मुकदमा प्रतिवादी सख्या–2 द्वारा अपनी सम्पत्ति श्री सुमन चौहान को जरिये बेयनामा ॲतरित कर दियां ओर वादी द्वारा प्रतिवादी सख्या–1 को प्रतिवादी सख्या–1 की सम्पत्ति से सटे कुछ भाग को विक्रीत की गयी अतः वादी के निवेदन पर श्रीमती सुंमन चौहान को प्रतिवादी सख्या–3 के रूप मे दर्ज योजित किया हैं ओर दोवे मे यह कथन किया गया है उसका विवाद प्रतिवादी सख्या–1

से समाप्त हो चुका है, तत्पश्चात प्रतिवादी सख्या–3 हाजिर हुई ओर सॅधिपत्र–62क प्रस्तुत किया गया ंजिसे पक्षगण के विद्वान अधिवक्ता द्वाा पक्षगण की पहचान करने पर न्यायालय द्वारा समझौते की शर्तो को पक्षगण को सुना समझा गया सत्यापित किया गया। सॅधिपत्र के आधार पर प्रतिवादी सख्या–1व2 मुकदमा से बरी करने का भी निवेदन किया गया ओर यह कथन किया गया है कि विकयपत्र दिनॉक 10–3–11 से विकीत की गयी सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति का मालिक वादी है तथा रहेगा। जिससे प्रतिवादी सख्या–3 का कोइ वास्ता सरोकार नही होगा। चूॅकि प्रतिवादी सख्या–2 ने अपनी सम्पत्ति प्रतिवादी सख्या–1और 3 को बेच दी है और प्रतिवादी सख्या–1से वादी का विवाद समाप्त हो चुंका हैं । ऐसी दशा मे प्रतिवादी सख्या–2व3 को मुकदमा मे बरी करते हुए वाद पत्र के आधार पर निर्णीत किये जाने योग्य है।

सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है ंसुंलहनामा मे अैंकित शर्तो के अनुसार पक्षगण के मध्य उत्पन्न विवाद का प्रभावी निस्तारण होना सम्भव हैं। चूॅकि पक्षगण ने सुंलहनामा के तथ्यो के आधारपर वाद का निस्तारण चाहा है। ऐसी स्थिति मे वाद का निस्तारण सुंलहनामा के प्रकाश मे किया जाना न्यायोचित है।

:–आदेशः–

प्रस्तुंत वाद सुंलहनामा कागज सख्या–62ए–1 के आधार पर निर्णीत किया जाता है। सुलहनामा कागज सख्या– 62ए–1 आज्ञप्ति का अॅग रहेगा।

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

सिविल जज (सी0डि)
सहारनपुर

न्यायालय :– द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि सहारनपुर।
मूलवाद सख्या– 445/11
श्रीमती चन्द्रकॉता छाबडा बनाम सुधॉशी कालडा आदि

26–8–12 –:लोक अदालतः–

पत्रावली लोक अदालत मे पेश हुई।

पक्षगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है । पक्षगण की ओर से आज सुलहनामे 34ए, प्रस्तुत कर वाद का निस्तारण सुलहनामे के शर्तो के अधीन किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादिया ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध बैयनामा मन्सूखी ओर निषेघाज्ञा के अनुतोष के लिए सॅस्थित किया है। प्रकरण मे जवाब दावा प्रस्तुत होकर वाद बिन्दू विरचित किये गये ओर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 39–7–12 के अनुसार वादिया का प्रार्थनापत्र –31ग स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सख्या–2 को वाद से बरी किया गया हैं । तदोरान्त पक्षगण द्वारा अपना अपना साक्ष्य

ॲंकित कराया गया।

प्रस्तुत सुंलहनामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसपर पक्षगण की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी। सुलह नामे पर पक्षगण के हस्ताक्षर है, सुलहनामा न्यायालय द्वारा पक्षगण को पढकर सुंनया व समझाया गया तो पक्षगण ने सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के दिया जाना बताते हुए उसमे ॲंकित शर्तो को स्वीकार कर वाद का निस्तारण उक्त सुंलहनामा के आधार पर किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं। सुलहनामा तसदीक कर स्वीकार किया गयां।

सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक दिया जाना प्रतीत होता हैं । सुंलहनामा मे अँकित शर्तो के अनुसार पक्षगण के मध्य उत्पन्न विवाद का प्रभावी निस्तारण होना सम्भव हैं। चूँकि पक्षगण ने सुंलहनामा के तथ्यो के आधार पर वाद का निस्तारण चाहा हैं अतः वाद का निस्तारण सुंलह के आधार पर किया जाना न्यायोचित है।

:–आदेशः–

प्रस्तुत वाद का निस्तारण सुंलहनामा कागज सख्या– 34ए के प्रकाश मे किया जाता है । सुंलहनामा कागज सख्या–34ए आज्ञप्ति का ॲंग रहेगा , तदनुसार डिग्री तैयार की जाये । पक्षगण के मध्य निष्पादित विक्रय विलेख दिनॉकित 20–04–2010 जिसकी रजिस्टरी बही नम्बर–1 इकरारी श्रीमती चन्द्रकान्ता वादिया, जिसकी जिल्द नम्बर–1348 पेजसख्या–93 से 114 क्रम सख्या– 2045 पर सब रजिस्ट्रार तृतीय के यहॉ हुई, को मन्सूख किया जाता है, जिस के सम्बन्ध मे सूचना सम्बन्धित रजिस्ट्रार को नियमानुसार भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर होवें । वाद व्यय पक्षगण अपना अपना वहन करेगे।

द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि
सहारनपुर।

न्यायालय :– द्वितीय अपर सिविल जज, सी0डि सहारनपुर।
मूलवाद सख्याः– 503/11
विश्वास वर्मा ––––––बनाम–––––––––सॅतोष आदि

16–10–12

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली निस्तारण हेतु नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनॉक 16–1–12 को प्रतिवादी सख्या–6 के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयीं है। प्रकरण मे पक्षगण के अभिवचनो के आधार पर वाद मे वाद बिन्दू विरचित किये गये है और वादी की ओर से बतौर पी0डब्ल्यु–1 विश्वास को परीक्षित कराया गया हैं अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से बतौर डी0डब्ल्यु–1 श्रीमती सॅतोष को तथा डी0डब्ल्यु–2

के रूप मे अनुज कुमार तथा डी0डब्ल्यु–3 के रूप मे प्रार्ची उर्फ पूजा को परीक्षित कराया गया है अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया हैं । पक्षगण की ओर से अन्य साक्ष्य देने से इॅकार किया गया है।

सुना गया तथा सुलहनामा का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि उक्त सुंलहनामे पर पक्षगण के हस्ताक्षर है, जिन की पहचान उनके विद्धान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। सुलहनामा न्यायालय द्वारा पक्षगण को पढकर सुंनाया व समझाया गया तो पक्षगण ने सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के दिया जाना बताते हुए उसमे अॅकित शर्तो को स्वीकार कर वाद का निस्तारण उक्त सुंलहनामा के आधार पर किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं। सुलहनामा तसदीक कर स्वीकार किया गयां।

सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है सुंलहनामा मे अॅकित शर्तो के अनुसार पक्षगण के मध्य उत्पन्न विवाद का प्रभावी निस्तारण होना सम्भव हैं। चूॅकि पक्षगण ने सुंलहनामा के तथ्यो के आधारपर वाद का निस्तारण चाहा है। ऐसी स्थिति मे वाद का निस्तारण सुंलहनामा के प्रकाश मे किया जाना न्यायोचित है।

:–आदेशः–

प्रस्तुंत वाद का निस्तारण सुंलहनामा कागज सख्या–44ए–1 के प्रकाश मे किया जाता है। सुलहनामा कागज सख्या– 44ए–1 आज्ञप्ति का अॅग रहेगा। प्रतिवादी सख्या–6 के विरूद्ध आदेश एकपक्षीय समझा जायेगा। वाद के तथ्यो एवॅ परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए वाद व्यय पक्षगण अपना अपना व्यय करेगां

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि
सहारनपुर।

न्यायालय :– द्वितीय अपर सिविल जज, सी0डि सहारनपुर।
मूलवाद सख्याः– 503/11
विश्वास वर्मा ––––––बनाम–––––––––सॅतोष आदि

16–10–12

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली निस्तारण हेतु नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनॉक 16–1–12 को प्रतिवादी सख्या–6 के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित

की गयीं है। प्रकरण मे पक्षगण के अभिवचनो के आधार पर वाद मे वाद बिन्दू विरचित किये गये है और वादी की ओर से बतौर पी0डब्ल्यु–1 विश्वास को परीक्षित कराया गया हैं अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से बतौर डी0डब्ल्यु–1 श्रीमती सॅतोष को तथा डी0डब्ल्यु–2 के रूप मे अनुज कुमार तथा डी0डब्ल्यु–3 के रूप मे प्राची उर्फ पूजा को परीक्षित कराया गया है अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया हैं। पक्षगण की ओर से अन्य साक्ष्य देने से इॅकार किया गया है।

सुना गया तथा सुलहनामा का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि उक्त सुंलहनामे पर पक्षगण के हस्ताक्षर है, जिन की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। सुलहनामा न्यायालय द्वारा पक्षगण को पढकर सुंनाया व समझाया गया तो पक्षगण ने सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के दिया जाना बताते हुए उसमे ॲकित शर्तो को स्वीकार कर वाद का निस्तारण उक्त सुंलहनामा के आधार पर किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं। सुलहनामा तसदीक कर स्वीकार किया गयां।

सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है सुंलहनामा मे अॅंकित शर्तो के अनुसार पक्षगण के मध्य उत्पन्न विवाद का प्रभावी निस्तारण होना सम्भव हैं। चूॅकि पक्षगण ने सुंलहनामा के तथ्यो के आधारपर वाद का निस्तारण चाहा है। ऐसी स्थिति मे वाद का निस्तारण सुंलहनामा के प्रकाश मे किया जाना न्यायोचित है।

:–आदेशः–

प्रस्तुंत वाद का निस्तारण सुंलहनामा कागज सख्या–44ए–1 के प्रकाश मे किया जाता है। सुलहनामा कागज सख्या– 44ए–1 आज्ञप्ति का ॲग रहेगा। प्रतिवादी सख्या–6 के विरूद्ध आदेश एकपक्षीय समझा जायेगा। वाद के तथ्यो एवॅ परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए वाद व्यय पक्षगण अपना अपना व्यय करेगां

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि
सहारनपुर।

न्यायालय :– द्वितीय अपर सिविल जज, सी0डि सहारनपुर।
मूलवाद सख्याः– 180/2006
महबूब अली खॉ ––––––बनाम–––––––––मजहर हसन आदि

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31–10–12

पत्रावली पेश हुई। पक्षगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर उपस्थित होकर वाद का निस्तारण सुलहनामा कागज सख्या– 119ए के आधार पर किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मे पक्षगण के अभिवचनो के आधार पर वाद मे वाद बिन्दू विरचित किये गये है और वादी की ओर से बतौर पी0डब्ल्यु–1 महबूब अली को परीक्षित कराया गया हैं अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से बतौर डी0डब्ल्यु–1 फजलूरहमान को तथा डी0डब्ल्यु–2 के रूप मे मजहर हुसैन को

परीक्षित कराया गया है अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया हैं । पक्षगण की ओर से अन्य साक्ष्य देने से इँकार किया गया है।

सुना गया तथा सुलहनामा का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि उक्त सुंलहनामे पर पक्षगण के हस्ताक्षर है, जिन की पहचान उनके विद्धान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। सुलहनामा न्यायालय द्वारा पक्षगण को पढकर सुंनाया व समझाया गया तो पक्षगण ने सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के दिया जाना बताते हुए उसमे ॲकित शर्तो को स्वीकार कर वाद का निस्तारण उक्त सुंलहनामा के आधार पर किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं। सुलहनामा तसदीक कर स्वीकार किया गयां।

सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है ंसुंलहनामा मे अँकित शर्तो के अनुसार पक्षगण के मध्य उत्पन्न विवाद का प्रभावी निस्तारण होना सम्भव हैं। चूॅकि पक्ष़गण ने सुंलहनामा के तथ्यो के आधारपर वाद का निस्तारण चाहा है। ऐसी स्थिति मे वाद का निस्तारण सुंलहनामा के प्रकाश मे किया जाना न्यायोचित है।

:–आदेशः–

प्रस्तुंत वाद का निस्तारण सुंलहनामा कागज सख्या–119ए–1 के प्रकाश मे किया जाता है। सुलहनामा कागज सख्या– 119ए–1 आज्ञप्ति का ॲग रहेगा। वाद के तथ्यो एवॅ परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए वाद व्यय पक्षगण अपना अपना व्यय करेगां

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि
सहारनपुर।

न्यायालय :– द्वितीय अपर सिविल जज, सी0डि सहारनपुर।
मूलवाद सख्याः– 493/2011
अब्दुल सत्तार ––––––बनाम–––––––––मौहम्मद अब्बास आदि
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31–10–12
लॅचबाद

पत्रावली पुनः पेश हुई। पक्षगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर उपस्थित होकर वाद का निस्तारण सुलहनामा कागज सख्या– 58ए–1 के आधार पर किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मे पक्षगण के अभिवचनो के आधार पर वाद मे वाद बिन्दू विरचित किये गये है और वादी की

ओर से बतौर पी0डब्ल्यु–1 अब्दुल सत्तर को परीक्षित कराया गया हैं अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से बतौर डी0डब्ल्यु–1 इस्तखार अहमद को परीक्षित कराया गया है अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया हैं। पक्षगण की ओर से अन्य साक्ष्य देने से इॅकार किया गया है।

सुना गया तथा सुलहनामा का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि उक्त सुंलहनामे पर पक्षगण के हस्ताक्षर है, जिन की पहचान उनके विद्धान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। सुलहनामा न्यायालय द्वारा पक्षगण को पढकर सुंनाया व समझाया गया तो पक्षगण ने सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के दिया जाना बताते हुए उसमे अॅकित शर्तो को स्वीकार कर वाद का निस्तारण उक्त सुंलहनामा के आधार पर किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं। सुलहनामा तसदीक कर स्वीकार किया गयां।

सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है सुंलहनामा मे अॅकित शर्तो के अनुसार पक्षगण के मध्य उत्पन्न विवाद का प्रभावी निस्तारण होना सम्भव हैं। चूॅकि पक्षगण ने सुंलहनामा के तथ्यो के आधारपर वाद का निस्तारण चाहा है। ऐसी स्थिति मे वाद का निस्तारण सुंलहनामा के प्रकाश मे किया जाना न्यायोचित है।

:–आदेश:–

प्रस्तुंत वाद का निस्तारण सुंलहनामा कागज सख्या–58ए–1 के प्रकाश मे किया जाता है। सुलहनामा कागज सख्या– 58ए–1 आज्ञप्ति का अॅग रहेगा। वाद के तथ्यो एवॅ परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए वाद व्यय पक्षगण अपना अपना व्यय करेगां

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

द्वितीय अपर सिविल जज सी0डि
सहारनपुर।

न्यायालय :– द्वितीय अपर सिविल जज, सी0डि सहारनपुर।
मूलवाद सख्या:– 285/2010
मौहम्मद यूसुफ ––––––बनाम––––––––ब्रिजेश आदि

30–11–12

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षगण के विद्धान अधिवक्ता उपस्थित है।

सुलहनामा कागज सख्या– 69ए–1,पर पक्षगण के विद्धान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मे पक्षगण के

अभिवचनो के आधार पर वाद मे वाद बिन्दू विरचित किये जा चुके है और वादी की ओर से बतौर पी0डब्ल्यु–1 युसुफ तथा बतोर डी0डब्ल्यु–1 ब्रिजेश कुमार को को परीक्षित कराया गया हैं अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। पक्षगण की ओर से अन्य साक्ष्य देने से इॅकार किया गया है। इसप्रकार से पक्षगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता हैं।

पत्रावली तथा सुलहनामा कागज सख्या– 69ए–1का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि उक्त सुंलहनामे पर पक्षगण के हस्ताक्षर है, जिन की पहचान उनके विद्धान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। सुलहनामा न्यायालय द्वारा पक्षगण को पढकर सुंनाया व समझाया गया तो पक्षगण ने सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के दिया जाना बताते हुए उसमे अॅकित शर्तो को स्वीकार कर वाद का निस्तारण उक्त सुंलहनामा के आधार पर किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं। सुलहनामा तसदीक कर स्वीकार किया गयां।

सुंलहनामा स्वेच्छापूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है सुंलहनामा मे अॅकित शर्तो के अनुसार पक्षगण के मध्य उत्पन्न विवाद का प्रभावी निस्तारण होना सम्भव हैं। चॅूकि पक्षगण ने सुंलहनामा के तथ्यो के आधारपर वाद का निस्तारण चाहा है। ऐसी स्थिति मे वाद का निस्तारण सुंलहनामा के प्रकाश मे किया जाना न्यायोचित है।

:–आदेशः–

प्रस्तुंत वाद का निस्तारण सुंलहनामा कागज सख्या–69ए–1 के प्रकाश मे किया जाता है। सुलहनामा कागज सख्या– 69ए–1 आज्ञप्ति का अॅग रहेगा। वाद के तथ्यो एवॅ परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए वाद व्यय पक्षगण अपना अपना व्यय करेगां

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि)
सहारनपुर।

17–7–14

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षगण मय विद्धान अधिवक्ता उपस्थित है।

अपीलार्थी /प्रतिवादी व विपक्षी/वादी के मध्य सुलहनामा कागज सख्या– 88ए–1,प्रस्तुत किया गया ।

सुलहनामा पत्रावली पर लिया गया ।

अपीलार्थीगण अशोक कुमार ,कर्णवीर, सतवीर, विनोद , कुमार व राजवीर की शिनाख्त उनके विद्धान अधिवकता श्री राशिद जमील द्वारा की गयी तथा विपक्षीगण/वादीगण धर्मपाल सिह पुत्र लाखन ,वीर पाल सिह पुत्र सतपाल, तथा श्रीमती कृष्णादवी पत्नी स्व0 सतपाल सिह की शिनाख्त उनके विद्धान अधिवक्ता श्री पूरण प्रेमचन्द शर्मा द्वारा की गयी । सुलहनामा न्यायालय में तसदीक किया गया । पक्षगण सुलहनामा के आधार पर वाद को निर्णीत कराना चाहतें हैं।

अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति को अपास्त करते हुए इस अपील को सुलहनामा कागज सख्या–88ए–1 के प्रकाश मे निर्णीत किया जाता है। सुलहनामा कागज सख्या–88ए डिक्री का अॅश रहेगा तथा पक्षगण पर बाध्यकारी रहेगा ।

अपील सुलहनामा के प्रकाश मे निर्णीत की जाती है।

(क्षितिज कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवॅ सत्र न्यायाधीश कक्ष सख्या–6
सहारनपुर।

17–7–14

पत्रावली पेश हुई।

पक्षगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

पत्रावली से सम्बन्धित सिविल अपील सख्या–65/10 अशोक कुमार बनाम धर्मपाल आदि की पत्रावली पक्षगण द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा कागज सख्या–88ए–1के आधार पर निर्णीत कर दी गयी है तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया गया है।

जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील लम्बित थी, वह डिक्री सिविल अपील सख्या–65/10 अशोक कुमार बनाम धर्मपाल मे निरस्त की जा चुकी है।

अतः प्रस्तुत अपील पोषणीय न होने के कारण निरस्त की जाती है।

। **(क्षितिज कुमार श्रीवास्तव)**
अपर जिला एवॅ सत्र न्यायाधीश कक्ष सख्या–6
सहारनपुर।